प्रेस नोट **दिनांक 30.07.2026**

चाकू से जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 30.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भीटी चौराहे से पूर्व एक गुमटी के पास से से मु0अ0स0 226/2026 धारा 109(1), 352, 351(2) बीएनएस में वाछिंत अभियुक्त आशीष यादव पुत्र रामू यादव निवासी नसोपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से घटना प्रयुक्त 01 अदद चाकू व घटना करते समय पहने हुए कपड़े बरामद कर गिफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उसके पहने हुए कपड़ों पर रक्त के छींटे पाए गये। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि घटना के दौरान चाकू चलाने से उसके हाथ में भी चोट लगी थी। अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने गये रक्त लगे कपड़ों को कब्जे पुलिस में लेकर विधिक प्रक्रिया के अनुसार सील किया गया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू भी घटनास्थल से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय चालान किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गयी कि उनके चाचा विनोद तिवारी, जो महिन्द्रा फाइनेंस कम्पनी में लोन रिकवरी का कार्य करते हैं, ट्रैक्टर की बकाया किस्तों की वसूली के सम्बन्ध में अभियुक्त आशीष यादव से सम्पर्क कर मुसरदह मोड़ भीटी स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास गये थे। अभियुक्त द्वारा उन्हें ट्यूबवेल पर बुलाकर पैसे लाने की बात कही गयी। शाम करीब 07.15 बजे अभियुक्त वापस आया और वादी के चाचा को ट्यूबवेल के अन्दर बुलाकर गाली-गलौज करते हुए चाकू से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ, चेहरे एवं गर्दन पर चोटें आयीं। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र होने लगे तो अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय एवं स्थान –

दिनांक: 30.07.2026

समय: प्रातः 08.27 बजे

स्थान: भीटी चौराहे से पूर्व एक गुमटी के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता विवरण –

1. आशीष यादव पुत्र रामू यादव निवासी नसोपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, उम्र करीब 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोंग विवरण –

1. मु0अ0सं0 226/2026 धारा 109(1), 352, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण –

1. घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहनी गयी रक्त के छींटे लगी एक अदद सफेद रंग की पीली लाइन वाली शर्ट, एक अदद ग्रे रंग की जीन्स पैंट।
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू, जो घटनास्थल से बरामद हुआ।

थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस द्वारा पीडितों की फ्रॉड हुए कुल धनराशि 9650-/ (नौ हजार छः सौ पच्चास) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक सरायलखन्सी के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडितगण **1.** संतोष कुमार तिवाली निवासी बृजविहार कालोनी थाना सरायलखन्सी की 3000/- रुपये की धनराशि, **2.** सुनीता गौतम निवासी मिल रोड़ थाना सरायलखन्सी की 3650/- रुपये की धनराशि, **3**. राकेश कुमार निवासी ऊनहाइच थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की 3000/- रुपये की धनराशि अंजान व्यक्ती द्वारा फ्राड कर ली गयी । जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना सरायलखन्सी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 9650 /- रुपये वापस कराया गया।

थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस द्वारा पीडितों की फ्रॉड हुए कुल धनराशि 67500-/ (सरसठ हजार पांच सौ) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडितगण **1.** प्रदीप कुमार पाण्डेय निवासी सहादतपुर की 27500/- रुपये की धनराशि , **2.** अबू हनीफा निवासी तालीमुद्दीपुरा कोतवाली नगर जनपद मऊ की 40,000 रुपये की धनराशि, अंजान व्यक्ती द्वारा फ्राड कर ली गयी । जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली नगर में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 67500 /- रुपये वापस कराया गया।

ऑपरेशन मजनू के अन्तर्गत एण्टीरोमियों टीम द्वारा स्कूल/कालेज के आस पास संदिग्ध परिस्थितियों में घुमने वाले/स्टंटबाजी करने वाले 54 शोहदें/मनचले गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के द्वारा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नेतृत्व जनपद के बिभिन्न थानो के एण्टीरोमियों टीमो द्वारा ऑपरेशन मजनू के अन्तर्गत आज दिनांक 30.07.2026 को स्कूल/कालेज/ सार्वजनिक स्थानो पर संदिग्ध परिस्थियों में घूम रहे तथा स्टंटबाजी कर रहे 54 मनचलों/शोहदों/संदिग्ध युवको को हिरातस में लेकर बंधपत्र भरवाते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा 12 मोटर साइकिलों को सीज किया गया।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना दक्षिण टोला एण्टीरोमियों टीम द्वारा कुल 26 मनचलो/शोहदों को बन्ध पत्र भरवाया गया तथा 06 वाहनों का चालान किया गया।
2. थाना कोपागंज पुलिस द्वारा कुल 12 मनचलो/शोहदों को बन्ध पत्र भरवाया गया तथा 03 वाहनों का चालान किया गया।

3. थाना दोहरीघाट एण्टीरोमियों टीम द्वार कुल 16 मनचलो/शोहदों को बन्ध पत्र भरवाया गया तथा 03 वाहनों का चालान किया गया।

गुम/खोये हुए कुल 02 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 31998/- साइबर पुलिस टीम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.07.2026 को गुम हुए 02 अदद मोबाइल फोन पीडितगण, वरण मिश्रा का मोबाइल फोन कीमत लगभग 19999/- रुपये, 2. संजी भारती का मोबाइल फोन कीमत लगभग 11999/- रुपये जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिकों तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 10,200/- साइबर पुलिस टीम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित, आशीष राजभर पुत्र लाल धारी राजभर निवासी सनेगपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

ऑपरेशन मजनू के अन्तर्गत सरायलखन्सी एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा छीटाकसी करने वाली 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में दिनांक 30.07.2026 को थाना सरायलखन्सी एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा फातिमा तिराहे के पास मु0अ0स0 261/26 धारा 296 से संबंधित अभियुक्त राम प्रबेश चौहान पुत्र राम भवन चौहान निवासी जनपद मऊ बरलाई को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 261/26 धारा 296 से संबंधित

अभियुक्त का विवरण-

1. राम प्रबेश चौहान पुत्र राम भवन चौहान निवासी जनपद मऊ